प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 01.05.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी ।

थाना निघासन पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी, डॉ0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, क्षेत्राधिकारी निघासन श्री शिवम कुमार के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक अवधराज सिंह सेंगर, थाना निघासन के मार्गदर्शन में थाना निघासन की पुलिस टीम ने आज दिनांक 01.05.2026 को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। पुलिस ने थाना निघासन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/2026 धारा 64(1) बीएनएस एवं 5एल/6 POCSO एक्ट के वांछित अभियुक्त राम मिलन पुत्र सुन्दर लाल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम जुगनुपुर, थाना धौरहरा, जिला खीरी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-- दिनांक 27.04.2026 को पीड़िता (उम्र करीब 17 वर्ष) ने अपने पिता के साथ थाना निघासन में आकर प्रार्थना पत्र दिया था कि राम मिलन ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाने में मु0अ0सं0 136/2026 धारा 69 बीएनएस एवं 3/4 POCSO एक्ट दर्ज किया गया था, जिसकी गहनता से विवेचना करते हुए बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, पीड़िता का मेडिकल, बयान 180 व 183 बीएनएसएस व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 69 बीएनएस व 3/4 POCSO का लोप करते हुए धारा 64(1) बीएनएस एवं 5एल/6 POCSO एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त घटना के दिन से ही लगातार फरार चल रहा था जिसे आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। यह गिरफ्तारी जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप की गई है

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राम मिलन पुत्र सुन्दर लाल नि0 ग्राम जुगनपुर थाना धौराहरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना निघासन जनपद खीरी ।
2.कां0 आलोक यादव थाना निघासन जनपद खीरी।
3.कां0 सुरेन्द्र दुबे थाना निघासन जनपद खीरी।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा कारतूस बरामद अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी खीरी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ राजापुर मंडी के पीछे देउवापुर के सामने प्लाटिंग से दिनांक 01.05.2026 को समय करीब 11.35 बजे अभियुक्त उत्कर्ष त्रिवेदी पुत्र आशुतोष त्रिवेदी निवासी मोहल्ला मिश्रापुरम थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0334/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम नियम पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. उत्कर्ष त्रिवेदी पुत्र आशुतोष त्रिवेदी निवासी मोहल्ला मिश्रापुरम थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्म0गण का नाम:-

1.उ0नि0 संचित यादव थाना कोतवाली सदर
2.का0 नितेश कुमार थाना कोतवाली सदर
3. का0 फरमान थाना कोतवाली सदर

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा कारतूस बरामद 02अभियुक्तो कि गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी खीरी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष खीरी के नेतृत्व में आज दिनांक 01.05.2026 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मुखबिर कि सूचना पर अभियुक्तगण 1. अनमोल उर्फ आदिल पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला बुखारी टोला थाना खीरी जनपद खीरी उम्र करीब 23 वर्ष से 1 तमंचा 12 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस 12बोर व 2. मोहित पुत्र राम सागर निवासी ग्राम बरवन थाना लोनार जनपद हरदोई उम्र करीब 22 वर्ष से 01अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ हड्डी फैक्ट्री के पास कस्बा खीरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0294/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करते हुए अभियुक्तगण को कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.मोहित पुत्र राम सागर निवासी ग्राम बरवन थाना लोनार जनपद हरदोई उम्र करीब 22

2. अनमोल उर्फ आदिल पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला बुखारी टोला थाना खीरी जनपद खीरी उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण: -

1.एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अनमोल उर्फ आदिल

1.0899/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना खीरी जनपद खीरी

2.0907/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना खीरी जनपद खीरी

3.0294/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना खीरी जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्म0गण का नाम :-

1.उ0नि0 शुभम कुमार थाना खीरी

2.का0 अकित सिंह थाना खीरी

3.का0 शुभम गंगवार थाना खीर

4.रि0 का0 मनोज कुमार थाना खीर

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग की घटना का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक खीरी, डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी के नेतृत्व में थाना मोहम्मदी पुलिस की टीम ने आज दिनांक 01.05.2026 को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 232/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त आलोक कुमार यादव पुत्र शेर सिंह यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम मूड़ाखालसा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी को आज दिनांक 01.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को साहबगंज जंगल क्षेत्र (थाना मोहम्मदी) से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 28.04.2026 को रात्रि ग्राम पिपरिया धनी, थाना मोहम्मदी स्थित सरदारजी पैलेस में अभियुक्त आलोक कुमार यादव ने अपने पिता की लाइसेंसी 315 बोर राइफल से हर्ष फायरिंग की थी। इस फायरिंग में अभय प्रताप पुत्र गजेंद्र सिंह, निवासी उलिया, थाना सिधौली, जनपद शाहजहांपुर के कॉलर बोन में गोली लग गई थी तथा अन्य व्यक्ति टाइल्स के टुकड़ों से घायल हो गए थे। घटना के बाद से अभियुक्त आलोक उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था जिसे करीब 72 घण्टे के अन्दर थाना मोहम्मदी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी विवरण-
एक अदद 315 बोर लाइसेन्सी रायफल
एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
आलोक कुमार यादव पुत्र शेर सिंह यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम मूड़ाखालसा थाना मोहम्मर्द जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.उ0नि0 हिमांशु आनन्द सिंह थाना मोहम्मदी खीरी
2.का0 अभिषेक कुमार थाना मोहम्मदी खीरी
3.का0 शशी कपूर थाना मोहम्मदी खीरी
4.रि0आ0 गौरव सिंह थाना मोहम्मदी खीरी
5.रि0आ0 विकास शाक्य थाना मोहम्मदी खीरी

वाहन चेकिंग अभियान

आज दिनांक 01 मई 2026 को लखीमपुर खीरी पुलिस ने जिले में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष यातायात अभियान चलाया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई।

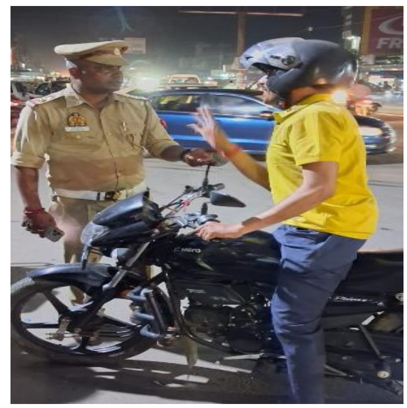

अभियान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों और बाजार क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए।
2. बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, गलत पार्किंग, ट्रिपल सवारी तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त चालान कार्यवाही की गई।
3. भारी वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर, टैंकर आदि) की भी विशेष जांच की गई और ओवरलोडिंग व अनुचित पार्किंग पर कार्यवाही की गई।

पुलिस कर्मियों की भी सख्ती से जांच की गई। पुलिस वाहनों की फिटनेस, सायरन का दुरुपयोग, हाई स्पीड ड्राइविंग तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की गई। यह अभियान यह संदेश देने के लिए चलाया गया कि कानून हर किसी पर समान रूप से लागू होता है।

अभियान का उद्देश्य:

1. जिले में यातायात दुर्घटनाओं को कम करना।
2. सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना।
3. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति को रोकना।
4. आम जनता में अनुशासन की भावना विकसित करना।

लखीमपुर खीरी पुलिस का संदेश है कि यातायात नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस कर्मी स्वयं इन नियमों का पालन करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जनता से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं तथा सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं।